



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त दौसा (राज.)


क्रमांक: 2462

दिनांक: 22-12-2021

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा. नि. वि. राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक एफ.3.15(सी)/पंजीयन नियम/अनु-3/डी-2063 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार विभाग में स्थायी पंजीयनों के पुनर्विलोकन की दिनांक 15.01.2022 तक बढ़ायी गयी है।

दिनांक 16.01.2022 से उक्त पंजीयन के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने की स्थिति में पंजीयन नियम के अनुच्छेद VII.3.vi के तहत सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने तक निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।



(भरत लाल मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त दौसा

दिनांक 22-12-2021

क्रमांक : फा/सम/2021-22/2462

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अति. मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. सम्भाग टोंक।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) सा. नि. वि. राज. जयपुर।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड दौसा/सिकन्दरा/महवा।
- 4 आयुक्त नगर परिषद दौसा।
- 5 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांटीकुई/महवा।
- 6 एडीपीसी रमसा दौसा।
- 7 मैसर्स.....


अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त दौसा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-2

पुराने बस स्टैण्ड के पास, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला कैम्पस, दौसा

Ph. 01427-22300

क्रमांक

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय 334 परिशिष्ट XVI के अनुभाग VII के अन्तर्गत "टेकदारों के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात टेकदार स्वयं के द्वारा और विभागाध्यक्ष अधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य सम्पादन आंकड़ों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई टेकदार जिसका कार्य सम्पादन असंतोषप्रद पाया जाये, अपना रजिस्ट्रीकरण रद्द कराने और नाम रजिस्ट्रीकृत टेकदारों की सूची में शामिल करने के दायित्वार्थी होगा।

उक्त नियम की पालना में मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक F.3.15 (c)/Enlistment Rules/Section-III/D-2028 दिनांक 14.12.2021 एवं एफ.3.15 (सी)/ Enlistment Rules/अनु-3/डी-2062 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा पंजीकृत संवेदकों/फर्मों के पुनर्विलोकन हेतु निर्देशित किया गया है। अतः कार्यालय में सिविल श्रेणी "डी" में पंजीकृत संवेदकों/फर्मों को नोटिस देने के उपरान्त भी आज दिनांक तक पंजीकृत संवेदकों/फर्मों को नोटिस देना नहीं करवाया गया है। ऐसे संवेदकों/फर्मों को निर्देशित/सूचित किया जाता है कि दो वर्ष पूर्व जारी स्थायी पंजीकृत आदेशों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 15.01.2022 तक पुनर्विलोकन (Review) आवश्यक रूप से करवा ले। उक्त आदेशों की अनुपालना में दिनांक 16.01.2022 से उक्त पंजीकृत के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने की स्थिति में पंजीकृत नियम के अनुच्छेद VII.3.vi के तहत सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने तक निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

संलग्न-पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।

क्रमांक :- 8 377-8 495

प्रतिवेधित :- निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :- 28/12/21

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड दौसा

1. मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राज. जयपुर को उनके आदेश क्रमांक F.3.15 (c)/Enlistment Rules/Section-III/D-2028 दिनांक 14.12.2021 एवं एफ.3.15 (सी)/ Enlistment Rules/अनु-3/डी-2062 दिनांक 16.12.2021 की अनुपालना में प्रेषित।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. संभाग-टोंक।
3. अधीक्षक अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त दौसा।
4. कार्यालय पत्रावली।
5. मैसर्स.....

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड दौसा